

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी  
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग  
मुख्य अभियंता (याँ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 13.4.2012

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	2716.800


कुल आवंटित राशि -

रुपये सत्ताईस करोड़ सोलह लाख अस्सी हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 5631.15 लाख (छप्पन करोड़ एकतीस लाख पंद्रह हजार) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहा. अभि.

  
(एस०के०)सिन्हा  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव



7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साइट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

L1  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 07

राँची, दिनांक :- 13.04.2012

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हजारीबाग/चाईबासा/गिरीडीह/देवघर/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

L1  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-


07


राँची, दिनांक :- 13.04.2012

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहा. अभि.

  
(एस. के. सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

L1  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव



मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संचाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 07 दिनांक 13.4.2016 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते						विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जी० यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	कार्यालय व्यय	किराया, दरे कर		आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय							
													विपन्न कोड	49N270103001060101	49N270103001060112				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	12.000	8.000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	20.750			
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	9.000	5.000	14.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	14.750			
3	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	25.000	15.000	40.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	40.500			
4	कदवन बांध अंचल, गढ़वा	38.000	23.000	61.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	61.500			
5	जलपथ अंचल, गढ़वा	20.000	13.000	33.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	33.500			
6	रूपांकण आयोजन एवं मोनिंग अंचल, मेदिनीनगर	35.000	21.000	56.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	56.500			
7	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	9.000	5.000	14.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	14.300			
8	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	55.000	32.000	87.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	87.300			
9	आयोजन एवं मोनिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर	57.000	35.000	92.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	92.100			
10	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी पलामू	55.000	33.000	88.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88.100			
11	कदवन बांध प्रमंडल, नगर छंटारी गढ़वा	52.000	32.000	84.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	84.300			
12	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी	56.000	33.000	89.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.100			
13	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	62.000	37.000	99.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	99.100			
14	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	48.000	28.000	76.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	76.100			

M.G.F.

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

सुरेश

(सुरेश कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अमि०)

प्र

(बी० सी० निगम)  
विशेष सचिव

h.2

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव



क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जी० यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	49N270103001060101		कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं			कुल योग	अभियुक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
15	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	38.000	22.000	60.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	60.300		
16	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	14.000	8.000	22.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	22.300		
17	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	55.000	33.000	88.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	88.300		
18	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	78.000	47.000	125.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125.100		
19	जलपथ प्रमंडल, बरही	113.000	68.000	181.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	181.100		
20	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	112.000	67.000	179.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	179.300		
21	जलपथ प्रमंडल, रौंछी	172.000	103.000	275.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	275.100		
22	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन	1.500	1.000	2.500	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	2.800		
23	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	120.000	72.000	192.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	192.300		
24	पुनर्वास पदा० उ० कोयल परियोजना, मेदिनीनगर	12.000	8.000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	20.300		
25	यात्रिक प्रमंडल, बनसो हजारीबाग	63.000	37.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	100.300		
26	रूपांकण एवं मोनि० प्र०, हजारीबाग	15.000	9.000	24.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.100		
27	रूपांकण प्रमंडल सं.-1, मेदिनीनगर	75.000	45.000	120.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	120.100		
28	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, मेदिनीनगर	62.000	37.000	99.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	99.100		
29	लेखा कार्या०, डालटनगंज	2.500	1.500	4.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.100		
30	लेखा कार्या०, देवघर	6.000	3.500	9.500	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.600		

11.642

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

अक्ष

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

अक्ष

(बी० सी० निगम)  
विशेष सचिव

Li

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव



पत्रांक 07 दिनांक 13.4.2012

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जी० यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय			कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	लेखा कार्या०, संची	9.500	5.500	15.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.100	
32	वित्त पदा०, स्वर्णरेखा परि०, जमशेदपुर	16.000	10.000	26.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.100	
33	विशेष मू-अर्जन पदा० उत्तर कोयल परि० मेदिनीनगर	52.000	31.000	83.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	83.300	
34	सिचाई प्रमडल, बुइ	96.000	58.000	154.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	154.100	
35	सिचाई यांत्रिक प्रमडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	48.000	28.000	76.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	76.100	
	आवंटन का योग	1693.500	1014.500	2708.000	0.000	0.000	0.000	4.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.600	0.000	2716.800	

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिर से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि-

रुपये सत्ताईस करोड़ सोलह लाख अस्सी हजार मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी० सी० निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव